रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1049] नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 31, 2017/पौष 10, 1939
No. 1049] NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 31, 2017/PAUSHA 10, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1612(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और और कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (समूह 'क' और 'ख' राजभाषा पद), भर्ती नियम,201 5, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में राजभाषा से संबंधित समूह 'क' और 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि,सहकारिता और किसान कल्याण विभाग : फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, (समूह 'क' और 'ख' राजभाषा पद), भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे ।

2. लागू होना. –ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के जलए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कनिष्ठ अनुवादक	2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु'सीमा
(6)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख को असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलेतथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में मास्टर डिग्री। **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर

का हो, के रूप में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, हिंदी और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या ऐच्छिक विषय डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

और

हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आदि का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय जिसमें भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल हैं, में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के कार्य में 2 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों को लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन प्रक्रिया के समय संघ कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थीयों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** किसी पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश लेने या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत अवकाश लेने पर रिकित्यों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा। **(क) जो मूल काडर या विभाग** में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, और **(ख)** जो कॉलम (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. संबंधित परिषद् के निदेशक - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या परिषद् कार्यालय के प्रमुख - सदस्य 4. प्रभाग या अनुभाग के प्रमुख - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-167800 रुपए)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियोंसे आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए वर्ष 2	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)
प्रोन्नति -: कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400/- रु. में उस स्तर में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ;

केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कानूनी और स्वायत्त निकायों के अधीन अधिकारी -

(क) (i) जो **मूल काडर या विभाग** में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने **मूल काडर या विभाग** में वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 8 (47600-151100/- उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में 2 वर्ष नियमित सेवा की हो ;

(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो ;

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात् –

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, हिंदी और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या ऐच्छिक विषय डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

(ii) हिंदी में उपयोग या लागू की जाने वाली पारिभाषिकी शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली कार्य) और अंग्रेजी से हिंदी या विपर्ययेन अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्यों का अधिमानता दी जाएगी ;

या

केंद्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों से हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान में 3 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर संविधान के आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी भाषा से भिन्न किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि , सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्ट—IV)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2017

G.S.R. 1612(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute (Group 'A' and Group 'B' Official Language posts) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B' posts relating to Official Languages in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute (Group 'A' and Group 'B' Official Language posts) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.– The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.– No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Junior Translator	2* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time). *Note*: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State,	Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective

Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	subject at degree level; and Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two year's experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Office, including Government of India Undertakings. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee [for considering confirmation] :- (1) Director of the Institute concerned - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Institute - Member; (4) Head of the Division or Section - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Director (Official	1* (2017). *Subject to	General Central Service,	Level-10 in the pay matrix	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or order

Language).	variation dependent on workload.	Group 'A', Gazetted , Non-Ministerial.	(Rs. 56100-167800)		issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By promotion, failing which by deputation (including short term contract.

(11)

Promotion :
Junior Translator in level-6 (Rs. 35400-112400). in the pay matrix with eight years' regular service in the level.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):
Officers from the Central or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory and Autonomous bodies:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii)with three years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) Masters' degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level.

(ii) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or Autonomous Bodies or Statutory organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions;

or

Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory organisations or Public Service Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.

Desirable:

Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10th level from a recognised board.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.
(Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member of the Union Public Service Commission : Chairman; (2) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member; (3) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt IV)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.08 20:28:46 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.